प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 103/2007

आवेदक / प्रतिवादी - सेंट बैंक, द्वारा शाखा प्रबंधक, सूर्य भवन, लक्ष्मी टॉकीज के निकट, जुना बिलासपुर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

अनावेदकगण

1. लक्ष्मणदास, पिता श्री ज्ञानदास माणिकपुरी, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी एम.आई.जी.-11/54, एम.पी. नगर, कोरबा, जिला कोरबा।

2. आवासीन गृह निर्माण समिति द्वारा अध्यक्ष, अमेरी रोड, तहसील तखतपुर, जिला बिलासपुर।

3. अयूब राबर्ट ब्राउन, पिता डब्ल्यू.जे. ब्राउन, उपाध्यक्ष, आवासीन गृह निर्माण समिति, निवासी मंगला, बिलासपुर।

4. सुरेन्द्र निखिल, पिता श्री शेर सिंह निखिल, निवासी मंघवापारा, जरहाभाठा, बिलासपुर।

5. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, बिलासपुर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सिविस प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका।

उपस्थित :

श्री आनंद शुक्ला, अधिवक्ता, आवेदक की ओर से।

आदेश

(दिनांक 3 सितम्बर, 2007 को पारित)

आवेदक दिनांक 12-06-2007 को सिविल वाद क्रमांक 8-क/2007 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश से व्यथित है, जिसके द्वारा आवेदक/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि प्रतिवादी को अपने समस्त आपत्तियों सहित

लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए। आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

(2) **सलीम भाई और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, एआईआर 2003 एससी 759** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार प्रतिपादित किया है :—

> "9. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII नियम 11 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि उसके अंतर्गत आवेदन का निर्णय करने हेतु केवल वादपत्र में किए गए कथनों पर ही विचार किया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग वाद के किसी भी चरण में कर सकता है, चाहे वादपत्र के पंजीयन से पूर्व अथवा प्रतिवादी को समन जारी किए जाने के पश्चात् तथा विचारण की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय। आदेश VII नियम 11 के खंड (क) एवं (घ) के अंतर्गत आवेदन के निर्णय हेतु वादपत्र में किए गए कथन ही प्रासंगिक होते हैं; उस चरण पर प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन में लिए गए प्रतिरक्षण पूर्णतः अप्रासंगिक होते हैं। अतः आदेश VII नियम 11 के आवेदन का निर्णय किए बिना लिखित कथन प्रस्तुत करने का निर्देश देना, विचारण न्यायालय द्वारा अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित एक प्रक्रियात्मक अनियमितता है। अतः उक्त आदेश न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग न किए जाने तथा प्रक्रियात्मक अनियमितता से ग्रसित है। तथापि, उच्च न्यायालय ने इन पहलुओं पर विचार नहीं किया।"
>
> "10. अतः उपर्युक्त कारणों से हमारा मत है कि चुनौतीाधीन सामान्य आदेश निरस्त किए जाने योग्य है और तदनुसार उसे निरस्त किया जाता है। हम प्रकरणों को विचारण न्यायालय को इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित करते हैं कि वह पक्षकारों को विधि के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, वादपत्र में किए गए कथनों के आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन का निर्णय करे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) **सोपान सुखदेव साबले और अन्य बनाम सहायक चैरिटी आयुक्त और अन्य, (2004) 3 एससीसी 137** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिमत व्यक्त किया है :—

> "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7 नियम 11 प्रतिवादी को एक स्वतंत्र उपचार प्रदान करता है, जिसके माध्यम से वह वाद की संधारणीयता को ही चुनौती दे सकता है, चाहे उसे गुण-दोष के आधार पर वाद का प्रतिवाद करने का अधिकार पृथक रूप से प्राप्त हो। विधि में प्रत्यक्षतः ऐसा कोई चरण निर्दिष्ट नहीं किया गया है जब ऐसी आपत्ति उठाई जा सकती है। विचारण न्यायालय वाद के किसी भी चरण में, अर्थात् वादपत्र के पंजीयन से पूर्व अथवा प्रतिवादी को समन जारी किए जाने के पश्चात् तथा विचारण समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय, इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। विधि में लिखित कथन प्रस्तुत किए जाने के संबंध में भी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। आदेश 7 नियम 11 के खंड (क) एवं (घ) के अंतर्गत आवेदन के निर्णय हेतु वादपत्र में किए गए कथन ही सुसंगत होते हैं; उस अवस्था में प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन में लिए गए प्रतिरक्षण पूर्णतः सुसंगत होते हैं। इसके विपरीत, 'shall' शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे यह स्पष्ट अभिप्रेत है कि यदि वादपत्र आदेश 7 नियम 11 के चारों खंडों में वर्णित किसी त्रुटि से ग्रसित हो, तो न्यायालय पर उसे निरस्त करने का दायित्व अधिरोपित है, भले ही प्रतिवादी द्वारा कोई हस्तक्षेप न किया गया हो (मेरे द्वारा बल दिया गया)। किसी भी स्थिति में, आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत वादपत्र की अस्वीकृति, वादियों को आदेश 7 नियम 13 के अनुसार नवीन वादपत्र प्रस्तुत करने से वंचित नहीं करती।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) **सज्जन सिकारिया एवं अन्य बनाम शकुंतला देवी मिश्रा एवं अन्य, (2005) 13 एससीसी 687** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समान परिस्थितियों में निम्नानुसार अभिमत व्यक्त किया है :—

> "3. हमारा मत है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 से संबंधित प्रश्न को प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में विचार करने हेतु दिया गया निर्देश

उचित नहीं है, क्योंकि इससे लिखित कथन प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाएगा। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन पर विचार करते समय लिखित कथन का अवलोकन करना पूर्वापेक्षित नहीं है तथा केवल वादपत्र में किए गए कथनों पर ही विचार किया जाना चाहिए।"

(5) उपर्युक्त परिस्थितियों में, आक्षेपित आदेश, जिसके द्वारा आवेदक/प्रतिवादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को उपर्युक्त आधार पर निरस्त किया गया, प्रथम दृष्टया विधि के प्रतिकूल है। अतः यह सिविल पुनरीक्षण अनावेदकगण को नोटिस जारी किए बिना ही प्रवेश स्तर पर अंतिम रूप से निराकृत किया जाता है। दिनांक 12-06-2007 का वह आक्षेपित आदेश, जिसके द्वारा आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया गया था, अपास्त किया जाता है। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन का गुण-दोष के आधार पर निर्णय करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(दिलीप रावसाहेब देशमुख)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**